कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक–उ0वि0शि0प0/वि0प0/रा0गां0न0वि0/प्र0प0/
/2012–13 दिनांक–.

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में सत्र 2013–14 हेतु कक्षा–6 में प्रवेश चाहने वाले उत्तराखण्ड राज्य में निवास कर रहें छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त विद्यालयों में कक्षा–6 से 12 तक अनिवार्य आवासीय व्यवस्था के साथ–साथ निःशुल्क सहशिक्षा हिन्दी व अंग्रेजी माध्यमों में प्रदान करने का प्रावधान है। उक्त के क्रम में प्रवेश परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा किया जा रहा है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में सीटों की संख्या क्षेत्रवार एवं लिंगवार आरक्षण निम्न तालिका के अनुसार निम्नवत है–

जनपद	सीटें प्रति जनपद	क्षेत्रवार आरक्षण	लिंगवार आरक्षण
हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा एवं नैनीताल।	60	75 प्रतिशत ग्रामीण 25 प्रतिशत ग्रामीण एवं शहरी	50 प्रतिशत बालिकाओं हेतु आरक्षित।
उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं उधमसिंनगर।	30	100 प्रतिशत ग्रामीण	50 प्रतिशत बालिकाओं हेतु आरक्षित

आरक्षण व्यवस्था राज्य स्तर पर निर्धारित प्राविधानों/नीति के अनुसार किया जायेगा।

प्रवेश हेतु पात्रता एवं निर्देश

1. जिस जनपद में छात्र/छात्रा कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं वह कक्षा 6 में प्रवेश हेतु केवल उसी जनपद में संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के लिए अर्ह होगा।
2. अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत किसी भी जनपद में स्थित राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सत्र 2012–13 में कक्षा–5 में अध्ययनरत होना चाहिए। चयनोपरांत कक्षा 5 उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह होगा।
3. कक्षा 6 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का जन्म 01 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2003 के मध्य होना चाहिए। उक्त दानों तिथियां सम्मिलित हैं।
4. शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र का निर्धारण अभ्यर्थी के गतवर्षों एवं अध्ययनरत विद्यालयों के आधार पर किया जायेगा।
5. ग्रामीण क्षेत्रों से आशय उन अभ्यर्थियों से होगा, जिन्होंने गत तीनों कक्षाएं क्रमशः 3,4 व 5 तक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय में पूरे सत्र भर सतत अध्ययन किया है।
6. एक भी दिन शहरी क्षेत्र के विद्यालय में अध्ययन करने वाले अभ्यार्थी को शहरी क्षेत्र का ही माना जायेगा।
7. चयन होने के उपरांत अभ्यार्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह काउंन्सिलिंग के समय संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के समक्ष आवेदन पत्र में दो गई समस्त प्रविष्टियों के सापेक्ष मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। अन्यथा की स्थिति को प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
8. आवेदन पत्र–आवेदन पत्र के प्रारुप की प्रतियां मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से प्राप्त की जा सकती है। समाचार पत्र में प्रकाशित आवेदन पत्र, घोषणा एवं प्रवेश पत्र के प्रारुप को प्रिंट कराकर भी आवेदन कर सकते हैं। पूरित आवेदन पत्र छात्र/छात्रा द्वारा अपने अध्ययनरत विद्यालय में जमा किया जायेगा। विद्यालय द्वारा प्राप्त सभी आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किये जायेंगे। आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 05.01.2013 समय सांय 5 बजे तक होगी। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त एवं अपूर्ण से भरे आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
9. परीक्षा केन्द्र परीक्षा केन्द्र पर निर्धारण विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जायेगा निर्धारित केन्द्र पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा, जिसकी सूचना खण्ड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है।

10. परीक्षा तिथि 03.02.2013 (रविवार) परीक्षा अवधि प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।
11. प्रवेश परीक्षा का माध्यम–हिन्दी अथवा अंग्रेजी।

12. परीक्षा योजना–प्रवेश परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी। प्रश्न पत्र में तीन खण्ड होंगे। प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमशः न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रशन 01 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। प्रश्नों/अंकों का विभाजन बॉक्स में दिये गये विवरणानुसार होगा।

खण्ड	**विषय वस्तु खण्ड**	**प्रश्न/अंकों का विवरण**
1	मानसिक योग्यता परीक्षा	50
2	गणित परीक्षा	25
3	भाषा परीक्षा	25
योग		**100**

प्रवेश से संबंधित किसी जानकारी के लिए दूरभाष नं0 05947–254275 तथा 9410117848 से संपर्क कर सकते हैं।